

ब्यूज टुडे

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने 62वां 'राष्ट्रीय समुद्री दिवस' मनाया

राष्ट्रीय समुद्री दिवस (National Maritime Day) 'एस.एस. लॉयल्टी' की ऐतिहासिक समुद्री यात्रा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह स्टीमशिप 5 अप्रैल, 1919 को मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। यह भारतीय स्वामित्व वाला पहला स्टीमशिप था।

भारत का सामुद्रिक (मेरीटाइम) क्षेत्र

- भारत की समुद्री तटरेखा 7,500 किलोमीटर लंबी है। इसमें 12 महापत्तन (Major ports) और 200 से अधिक लघु पत्तन (Minor ports) हैं। ये विशेषताएं भारत को विश्व का 16वां सबसे बड़ा समुद्री राष्ट्र (Maritime nation) बनाते हैं।
- टन भार के अनुसार भारत शिप रीसाइक्लिंग के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है।
- विश्व बैंक के इंटरनेशनल शिपमेंट लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। 2018 में भारत की रैंकिंग 44 थी, जो 2023 में सुधरकर 22 हो गई थी।
- 2014-15 से 2023-24 के बीच देश के महापत्तनों ने अपनी कार्गो-हैंडलिंग क्षमता में 87% की वृद्धि दर्ज की है। कार्गो-हैंडलिंग क्षमता के मामले में पारादीप भारत का सबसे बड़ा महा पत्तन बन गया है।


भारत के सामुद्रिक क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां

- पत्तन अवसंरचना में दक्षता की कमी: विशेषकर पत्तनों की देश के आंतरिक परिवहन साधनों से कनेक्टिविटी अभी भी संतोषजनक नहीं है।
- पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं: कई वजहों से तटीय पारिस्थितिकी-तंत्र को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा, पत्तनों से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं से भी पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इन वजहों से लंबे समय तक पत्तनों के संचालन पर प्रभाव पड़ सकता है।
- भू-राजनीतिक खतरें: वैश्विक भू-राजनीतिक स्थितियों में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। साथ ही, आतंकी समूह जैसे गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर हमले बढ़ गए हैं। इन सब कारणों से समुद्री व्यापार प्रभावित हो रहा है।

समुद्री क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु शुरू की गई पहलें

- नीतिगत पहलें: पत्तन और बंदरगाह (Harbour) परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई है। साथ ही, बंदरगाहों के विकास से जुड़ी कंपनियों को 10 वर्षों के लिए कर छूट दी गई है।
- अवसंरचना विकास: महाराष्ट्र के वधावन में एक महापत्तन की स्थापना की मंजूरी दी गई है। साथ ही, 2035 तक पत्तन अवसंरचना में 82 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की योजना बनाई गई है।
- योजनाएं/ नीतियां: सागरमाला कार्यक्रम, मेरीटाइम इंडिया विज़न 2030, ग्रीन टग ट्रांजिशन कार्यक्रम आदि घोषित किए गए हैं।

भारत के पत्तन क्षेत्र का महत्त्व



संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) ने महासागरों के संरक्षण को 'स्वस्थ पर्यावरण के मानवाधिकार' से जोड़ने वाला एक संकल्प अपनाया

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) ने पहली बार एक ऐसा संकल्प अपनाया है, जिसमें 'प्लास्टिक प्रदूषण और महासागरों के संरक्षण' तथा 'स्वच्छ, स्वस्थ एवं संधारणीय पर्यावरण के अधिकार' के बीच महत्वपूर्ण संबंध को मान्यता दी गई है।

संकल्प के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- राष्ट्रों की मानवाधिकारों की सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों में समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र का संरक्षण भी शामिल है।
- समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र के नुकसान से मानव अस्तित्व को खतरा है। साथ ही, इससे असमानताएं बढ़ती हैं तथा उपेक्षित व वंचित समुदायों को अधिक खतरे का सामना करना पड़ता है।
- 600 से अधिक समझौतों के बावजूद, समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र को जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक मत्स्यन, संसाधनों के अत्यधिक दोहन, प्रदूषण एवं गहरे समुद्र में खनन जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

मानवाधिकार और महासागरों के संरक्षण के बीच अंतर्संबंध

- भोजन का अधिकार: स्वस्थ महासागर माल्पिकी उद्योग के माध्यम से, करोड़ों लोगों को उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए- प्रवाल भित्तियां (कोरल रीफ्स) 50 करोड़ लोगों को भोजन प्रदान करती हैं।
- आजीविका का अधिकार: लगभग 2.4 अरब लोग समुद्र तटों से 100 किलोमीटर की दूरी के भीतर रहते हैं। इनमें से बड़े आबादी समूह की आजीविका मत्स्यन, पर्यटन और मैंग्रोव जैसे पारिस्थितिकी-तंत्र पर निर्भर करती है।
- स्वस्थ पर्यावरण में रहने का अधिकार: इस रूप में महासागर निम्नलिखित भूमिका निभाते हैं:
 - पृथ्वी की जलवायु को संतुलित रखते हैं;
 - वायु और जल को शुद्ध रखते हैं;
 - पोषक तत्वों की रीसाइक्लिंग करते हैं, और
 - प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करते हैं।

भावी पीढ़ियों के अधिकार: कार्बन सिंक की भूमिका निभाते हुए महासागर, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संतुलित जलवायु सुनिश्चित करते हैं।

भारत में पर्यावरण से संबंधित संवैधानिक और कानूनी फ्रेमवर्क

- संविधान का अनुच्छेद 51A(g): प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी एवं वन्यजीव आते हैं, की रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणि-माल के लिए दया भाव रखें।
- एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ वाद (1986): इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार (राइट टू लाइफ) में 'स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार' भी शामिल किया था।
- एम. के. रंजीतसिंह बनाम भारत संघ वाद (2024): इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में कदम उठाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कांचा गाचीबोवली में वनों की कटाई पर रोक लगाने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने कांचा गाचीबोवली क्षेत्र में वनों की कटाई संबंधी गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया है। यह निर्देश उस समय आया जब तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास लगभग 400 एकड़ वन भूमि की नीलामी कर IT पार्क बनाने की योजना बनाई थी। इस नीलामी का छाल बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

शहरी वनों का महत्त्व

- ▶ **पर्यावरण:** शहरी वन वायु एवं जल शोधन, कार्बन प्रच्छादन (Sequestration), तापमान विनियमन और जैव-विविधता संरक्षण में योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए- दिल्ली रिज दिल्ली शहर के लिए 'ग्रीन लंग्स' के रूप में कार्य करती है।
- ▶ **सामाजिक:** हरित वन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं, तनाव को कम करते हैं, सक्रियता को बढ़ावा देते हैं तथा सामाजिक मेल-जोल को मजबूत करते हैं।
- ▶ **आर्थिक:** शहरी वन परिसंपत्तियों के मूल्यों में वृद्धि करते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, और स्थानीय व्यवसायों एवं विकास में योगदान करते हैं।
- ▶ **जलवायु लचीलापन:** अत्यधिक गर्मी और बाढ़ को कम करते हैं, वायु गुणवत्ता में सुधार करते हैं, तथा जैव विविधता में वृद्धि करते हैं। इससे जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद मिलती है।

सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- ▶ **नगर वन उद्यान कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य 200 शहरी वनों का विकास करना है। इसके तहत स्थानीय समुदायों, स्कूलों और संगठनों को वनों के विकास एवं रखरखाव में शामिल किया जाएगा।
- ▶ **स्कूल नर्सरी योजना (SNY):** इसका उद्देश्य बच्चों को प्रकृति से जोड़ने के लिए उन्हें स्कूल में पौधे उगाने की गतिविधियों में शामिल करना है।
- ▶ **मियावाकी वनारोपण पद्धति:** इसके तहत शहरी क्षेत्रों में देशज प्रजातियों का उपयोग करके घने एवं प्राकृतिक वन विकसित करना; पारिस्थितिकी-तंत्र को बढ़ावा देना आदि कार्य शामिल हैं।
- ▶ **हरियाली संबंधी दिशा-निर्देश:** केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार शहरों के न्यूनतम 12-18% भाग पर हरित वन होने चाहिए।

भारत और श्रीलंका ने सात समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

भारत के प्रधान मंत्री की श्रीलंका यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 7 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए। इनमें दोनों देशों की बीच 'प्रथम रक्षा समझौते' पर हस्ताक्षर भी शामिल हैं।

- ▶ इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधान मंत्री को "श्रीलंका मित्त विभूषण" से भी सम्मानित किया गया। यह श्रीलंका द्वारा विदेशी व्यक्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।

प्रधान मंत्री की श्रीलंका यात्रा की मुख्य उपलब्धियां:

- ▶ **रक्षा सहयोग:** यह एक व्यापक समझौता है, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग को अधिक संगठित रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।
 - ⊕ श्रीलंका के राष्ट्रपति ने यह भी आश्वासन दिया कि श्रीलंका के भूभाग पर भारत विरोधी गतिविधियां चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह आश्वासन मायने रखता है।
 - ▶ **ऊर्जा सहयोग:** विद्युत व्यापार के लिए दोनों देशों के बीच ग्रिड कनेक्शन पर विचार किया जाएगा। साथ ही, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के सहयोग से लिंकोमाली ऊर्जा हब स्थापित किया जाएगा
 - ▶ **अन्य क्षेत्रों में सहयोग:** श्रीलंका में डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य-देखभाल में सुधार, श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के विकास में भारत का सहयोग, और श्रीलंका को दिए गए ऋण पर ब्याज दरों में कटौती पर भी सहमति बनी है।
- भारत के लिए श्रीलंका का महत्त्व:
- ▶ **रणनीतिक और भू-राजनीतिक महत्त्व:** श्रीलंका हिंद महासागर के महत्वपूर्ण नौवहन मार्गों के निकट स्थित है। इसलिए, वह भारत के 'महासागर (MAHASAGAR) विज़न' में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है।
 - ⊕ यहां महासागर (MAHASAGAR) से आशय है, म्यूच्यूअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिंक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजंस। भारत के इस नए विज़न का उद्देश्य छोटे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना, समुद्री क्षेत्र में निगरानी बढ़ाना और अवैध गतिविधियों को रोकना है।
 - ▶ **आर्थिक महत्त्व:** भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते (1998) की वजह से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था। इसमें भारत से 4.1 अरब डॉलर का निर्यात भी शामिल है।
 - ▶ **सांस्कृतिक महत्त्व:** मौर्य सम्राट अशोक के समय से ही दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंध रहे हैं। उदाहरण के लिए- श्रीलंका के जय श्री महा बोधि मंदिर में स्थित पवित्र बोधि वृक्ष उस पौधे का अंश माना जाता है, जिसे अशोक की पुत्री संघमिता थैरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत से लाई थी।

भारत-श्रीलंका संबंधों में चुनौतियां:

- ▶ **चीन का बढ़ता प्रभाव:** अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से चीन रणनीतिक व सामरिक रूप से भारत को घेर रहा है। इसी पहल के तहत श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 99 वर्षों के लिए पट्टे पर हासिल हुआ है।
- ▶ **तमिल नृजातीय मुद्दा:** श्रीलंका में तमिल-सिंहल संघर्ष लगभग समाप्त हो चुका है, हालांकि दोनों नृजातीय समूहों के बीच सुलह की प्रक्रिया धीमी रही है।
 - ⊕ तमिल क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता देने वाले 13वें संविधान संशोधन को लागू करने में देरी हो रही है। इससे भारत की घरेलू राजनीति भी प्रभावित होती है।
- ▶ **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा विवाद:** आए दिन श्रीलंकाई नौसैनिकों द्वारा भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी की जाती है। भारतीय मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने हेतु बॉटम ट्रॉलिंग के इस्तेमाल का भी विरोध किया जाता है।
 - ⊕ इस तरह कच्चातिवु द्वीप पर विवाद अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने "भारत में महिला और पुरुष 2024: चयनित संकेतक एवं डेटा" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की

यह रिपोर्ट जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेने जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत में लैंगिक स्थिति का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- जन्म के समय लिंगानुपात: 2014-16 और 2018-20 के बीच, शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात (910) ग्रामीण क्षेत्रों (907) से अधिक हो गया था। यह शहरी क्षेत्रों की ओर महिला प्रवासन में वृद्धि को दर्शाता है।
- स्वास्थ्य: मातृ मृत्यु दर (MMR) 2015-17 में 122 से घटकर 2018-20 में 97 हो गई थी।
- शिक्षा: 2017 में पुरुष साक्षरता दर 84.7% और महिला साक्षरता दर 70.3% थी। केरल में सबसे कम लैंगिक साक्षरता अंतराल है, जबकि राजस्थान में सबसे अधिक है।
- आर्थिक भागीदारी: महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 2017-18 की 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई।
 - वित्तीय समावेशन: सभी बैंक खातों में 39.2% महिलाओं के बैंक खाते हैं और वे कुल जमा में 39.7% का योगदान देती हैं।
 - लीडरशिप की भूमिकाएं: वित्त वर्ष 2025 में महिलाओं की निदेशक मंडल में 28.7% हिस्सेदारी हो गई है, जो वित्त वर्ष 2020 में 26.7% थी।
- राजनीतिक भागीदारी: महिला मतदान पिछले कुछ वर्षों में अलग-अलग रहा है। 2019 में यह 67.2% था, लेकिन 2024 में कुछ कम होकर 65.8% हो गया।
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा: भारत में 18-49 आयु वर्ग की लगभग एक-तिहाई (31.9%) विवाहित महिलाएं वैवाहिक हिंसा से पीड़ित होती हैं। कर्नाटक (48.4%), बिहार (42.5%) और मणिपुर (41.6%) में वैवाहिक हिंसा के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।



अन्य सुर्खियां



अंतर-संसदीय संघ (Inter-Parliamentary Union: IPU)

लोक सभा अध्यक्ष ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 150वें अंतर-संसदीय संघ (IPU) शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

अंतर-संसदीय संघ (IPU) के बारे में

- स्थापना: IPU की स्थापना 1889 में सांसदों के एक लघु समूह के रूप में हुई थी।
- उद्देश्य:
 - संसदीय कूटनीति को बढ़ावा देना, तथा
 - विश्व स्तर पर शांति, लोकतंत्र और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए संसदों एवं सांसदों को सशक्त बनाना।
- इसमें महिला सांसदों का मंच (Forum of Women Parliamentarians) भी शामिल है। इसने पिछले 40 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय निर्णयन प्रक्रियाओं में महिलाओं को योगदान देने के लिए एक विशिष्ट वैश्विक मंच प्रदान किया है।
- सदस्य: इसके 182 सदस्य देश हैं। बेलीज सबसे नया सदस्य है। इसके 15 एसोसिएट सदस्य हैं।
 - भारत भी IPU का सदस्य देश है।
- मुख्यालय: जिनेवा (स्विट्जरलैंड)।



अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और रिपोर्टिंग मानक

भारत को 2025-2027 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र-अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और रिपोर्टिंग मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर-सरकारी कार्यदल (ISAR) में निर्विरोध चुना गया।

ISAR के बारे में

- ISAR एक स्थायी अंतर-सरकारी कार्यदल है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों को वित्तीय रिपोर्टिंग और गैर-वित्तीय डिस्क्लोजर की गुणवत्ता में सुधार करने तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने में सहायता करना है।
 - इनमें पर्यावरणीय मुद्दे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) जैसे पहलू शामिल होते हैं।
- ISAR का प्रत्येक वर्ष जिनेवा में सत्र आयोजित होता है। इसमें कंपनियों के लेखांकन और रिपोर्टिंग से जुड़े नए मुद्दों पर चर्चा की जाती है।
- सदस्य: ISAR में 34 औपचारिक सदस्य होते हैं। ये तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।
 - इन सदस्यों में शामिल हैं: 9 अफ्रीकी देश, 7 एशियाई देश, 6 लैटिन अमेरिकी देश, 3 पूर्वी यूरोपीय देश तथा 9 पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश।



प्रोफेशनल टैक्स

फूड और ग्रॉसरी डिलीवरी कंपनी स्विगी (Swiggy) को पुणे प्रोफेशनल टैक्स विभाग द्वारा 7.6 करोड़ रुपये का नोटिस प्राप्त हुआ है।

प्रोफेशनल टैक्स के बारे में

- प्रोफेशनल टैक्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 276 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। यह अनुच्छेद राज्य सरकारों को व्यवसाय, व्यापार और रोजगार पर कर लगाने का अधिकार देता है।
- यह कर कर्मचारियों, पेशेवरों, व्यापारियों और व्यक्तिगत लोगों द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाता है।
- प्रोफेशनल टैक्स आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कटौती योग्य (deductible) है, अर्थात् इसका आयकर गणना में छूट के रूप में दावा किया जा सकता है।



दुर्लभ भू-तत्व (Rare Earth Elements:REE)

मध्य कज़ाखस्तान के कारागांडा क्षेत्र में दुर्लभ भू-तत्वों (Rare Earth Elements) का सबसे बड़ा भंडार खोजा गया है।

दुर्लभ भू-तत्वों (REEs) के बारे में

- परिभाषा: दुर्लभ भू-तत्वों में 17 तत्व शामिल होते हैं। इनमें 15 लैंथेनाइड तत्व तथा स्कैंडियम (Scandium) और यट्रियम (Yttrium) शामिल हैं।
- ये तत्व लोहित-धूसर रंग से लेकर चांदी जैसे चमकीले होते हैं और सामान्यतः नरम, आकार बदलने योग्य (malleable), लचीले (ductile) तथा रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील होते हैं।
- प्रमुख उपयोग:
 - इलेक्ट्रॉनिक और संचार उपकरणों में,
 - इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों में,
 - फ्लैट-स्क्रीन मॉनिटर और टेलीविजन में,
 - रक्षा क्षेत्रक में आदि।
- भारत की स्थिति: भारत, दुर्लभ भू-तत्व संसाधन भंडार के मामले में विश्व में पांचवें स्थान पर है।
 - हालांकि इनके भंडार अक्सर रेडियोधर्मिता (radioactivity) वाले होते हैं, इसलिए इनका खनन समय लेने वाला, जटिल और महंगा होता है।



ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

राजस्थान के सुदासरी केंद्र में एक सप्ताह में अण्डों से चार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे बाहर निकले।

➤ इस तरह यह बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के तहत इस संकटग्रस्त प्रजाति को बचाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स) के बारे में

➤ मुख्य विशेषताएं

- पर्यावास: यह पक्षी भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक (endemic) प्रजाति है। यह प्रजाति मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। वैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी कुछ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं।
- आहार: ये पक्षी सर्वाहारी होते हैं। ये घास के बीज, कीट-पतंगे (जैसे टिड्डियां, बीटल), तथा कभी-कभी छोटे कृतक (Rodents) और सरीसृप भी खाते हैं।

➤ संरक्षण स्थिति

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-1 में सूचीबद्ध।
- IUCN रेड लिस्ट: क्रिटिकली एंडेंजर्ड।
- CITES: परिशिष्ट-1 में सूचीबद्ध।
- यह प्रजाति 'वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास' के तहत स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में शामिल है।



कन्नडिप्पया जनजातीय शिल्प

कन्नडिप्पया भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त करने वाला केरल का पहला जनजातीय हस्तशिल्प बन गया है।

कन्नडिप्पया के बारे में

- यह एक सुंदर बुनी हुई चटाई है। इसे "मिरर मैट" (दर्पण चटाई) भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी बनावट में विशिष्ट परावर्तक पैटर्न होता है।
- यह चटाई रीड बांस की कोमल भीतरी परतों से बनाई जाती है। इसकी विशेषता यह है कि यह सर्दियों में गर्माहट और गर्मियों में ठंडक प्रदान करती है।



ढोकरा कला

भारत के प्रधान मंत्री ने अपनी हालिया थाईलैंड यात्रा के दौरान वहां के प्रधान मंत्री को ढोकरा कला में निर्मित पीतल की मोरनुमा नाव भेंट की थी।

➤ यह एक मोर के आकार की नाव है, जिसे जटिल नक्काशी और रंगीन लाह की पच्चीकारी (Lacquer inlays) से सजाया गया है।

ढोकरा कला के बारे में

- ढोकरा (या डोकरा) कला लुप्त मोम विधि के साथ धातु ढलाई शिल्प का एक प्राचीन रूप है। इस विधि की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है।
- इसका नाम 'ढोकरा डामर' जनजातियों से लिया गया है। यह कला छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के गड़वा, गोंड एवं धुरवा जनजातियों में भी प्रचलित है।
- इसकी विशेषता यह है कि हर एक मूर्ति एक ही बार इस्तेमाल होने वाले सांचे से बनाई जाती है, जिससे हर मूर्ति विशिष्ट होती है।



पंबन ब्रिज

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने तमिलनाडु में नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है।

➤ वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज एक प्रकार का मूवेबल ब्रिज होता है। इसमें ब्रिज का एक छोटा-सा हिस्सा (पाट) लंबवत रूप से ऊपर की ओर उठता है। इस दौरान यह डेके के समानांतर रहता है। इस प्रकार जहाज आसानी से इसके नीचे से गुजर सकते हैं।

नए ब्रिज के बारे में

- यह पुल 1914 में बने पुराने कैटिलीवर ब्रिज की जगह पर बनाया गया है, जिसे 2022 में बंद कर दिया गया था। यह रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भारत भूमि से जोड़ता है।
- इसे रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने डिजाइन किया है। इसमें 72.5 मीटर का नेविगेशनल स्पैन है, जिसे 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है, ताकि बड़े जहाज गुजर सकें।

सुर्खियों में रहे स्थल



लेसोथो (राजधानी: मासेरू)

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लेसोथो से आयात पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद लेसोथो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद के केंद्र में आ गया। यह अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर लगाया गया अब तक का उच्चतम टैरिफ है।

लेसोथो के बारे में

➤ भौगोलिक अवस्थिति:

- यह एक छोटा, पहाड़ी व भू आबद्ध देश है। लेसोथो चारों तरफ से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है।
- इसे माउंटेन किंगडम के नाम से भी जाना जाता है।

➤ भौगोलिक विशेषताएं:

- जलवायु: 3,096 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित होने के कारण, लेसोथो का तापमान 30° दक्षिण अक्षांश पर होने के बावजूद अपेक्षा से अधिक ठंडा रहता है। इसकी जलवायु पर हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों का प्रभाव है, जिससे इसके तापमान में भिन्नता आई है।
- पर्वत: ड्रेकेन्सबर्ग और मालोटी पर्वतमाला।
- नदियां: ऑरेंज नदी (दक्षिणी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदियों में से एक है)। यह लेसोथो उच्चभूमि से निकलती है।
- यूनेस्को स्थल: मालोटी-ड्रेकेन्सबर्ग पार्क एक अंतर्राष्ट्रीय विरासत स्थल है। इसमें दक्षिण अफ्रीका का उखाहलाम्बा ड्रेकेन्सबर्ग राष्ट्रीय उद्यान और लेसोथो का सेहलाबाथेबे राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं।

